कार्यालय नगर परिषद कोटर जिला-सतना (म.प्र.)

Office No- 07672-276411 E-mail:-cmokothar@mpurban.gov.in

क्र./1807/न.प./स्था./दि.भर्ती/2024 कोटर दिनांक 14/03/2024

//विज्ञापन//

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 द्वारा जारी आदेशानुसार नगर परिषद कोटर जिला-सतना (म.प्र.) मे रिक्त स्वच्छता संरक्षक के दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पद पर वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयन हेतु इच्छुक उम्मीदवारो के आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2024 तक आमंत्रित किये जाते है।

न्यूनतम योग्यता धारित करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों को अलग से सूचना दी जावेगी। पदों की संख्या आरक्षित श्रेणी एवं न्यूनतम योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	स्वच्छता संरक्षक पदो की संख्या	नियमित/संविदा	आरक्षण श्रेणी	पद संख्या	न्यूनतम योग्यता	दिव्यांग का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	01	संविदा	अनारक्षित	01	05 वीं कक्षा उत्तीर्ण	बहरे/कम सुनने वाले

टीप :-

1. स्वच्छता संरक्षक के पद पर नियुक्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयन समिति द्वारा की जायेगी ।
2. चयन समिति द्वारा नियुक्ति के संबंध में लिये गये समस्त निर्णय उम्मीदवारों के लिये बंधनकारी एवं मान्य होगे।
3. वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिये आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता प्रदान नही किया जायेगा। उम्मीदवार यात्रा व्यय तथा खाने पीने का व्यय स्वयं वहन करेगा ।
4. निर्धारित तिथि समाप्त होने उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नही किये जायेगे।
5. अधूरे तथा अस्पष्ट आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।
6. नियुक्ति के लिये समस्त आवेदन पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कोटर जिला सतना के नाम से पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जाये, तथा कार्यालय कार्य दिवसों मे कार्यालय मे प्रातः 11 बजे से 5:00 बजे तक जमा किये जा सकते है।
7. नियुक्ति के संबंध में अन्य जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय मे कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
8. नियुक्ति के लिये आवेदन नियत प्रारूप मे ही मान्य किया जावेगा, जो नगर परिषद कोटर कार्यालय अथवा निकाय की वेब साईट www.mpurban.gov.in से डाउन लोड किये जा सकते है।
9. न्यूनतम आयु 18 वर्ष की आयु पूर्ण तथा अधिकतम आयु सीमा मे शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी ।
10. नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर स्थानीय कोतवाली से चरित्र प्रमाण पत्र तथा जिला चिकित्सालय द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
11. नियमित कर्मचारियों को वेतनमान 4440-7440+DA एवं संविदा कर्मचारियो को वेतनमान 8000 या कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृति अकुशल दर देय होगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद कोटर
जिला सतना (म.प्र.)

पृ. क्र./1807/न.प./स्था./दि.भर्ती./2024 कोटर दिनांक 14/03/24

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर महोदय, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
5. जिला परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सतना की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद कोटर की ओर सूचनार्थ।
7. संपादक, दैनिक जागरण, समाचार पत्र, नवस्वदेश समाचार पत्र, सतना की ओर लेख है, कि उक्त विज्ञाप्ति का प्रकाशन आगामी अंक 01 दिवस का निर्धारित राशि रू. 2500-3000 तक प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद कोटर
जिला सतना (म.प्र.)